राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित

चर्चा में क्यों?

19 जुलाई, 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 पारित हो गया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने कहा कि प्राधिकरण का बिल पास होकर एक्ट बन जाने से अब प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले व पदयात्राएँ अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सकेंगे।
- विदित है कि राजस्थान एक समृद्ध सांस्कृतिक प्रदेश है, जहाँ मेले और उत्सव लोगों के पारंपरिक जीवन का प्रमुख आधार है और तेजी से बदलते सामाजिक मूल्यों में इनकी प्रासंगिकता ओर अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य मेला प्राधिकरण का गठन 2011 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही किया था और अब इस प्राधिकरण का विधिवत् एक्ट बनवाकर राज्य के मेले व लोक उत्सवों को संरक्षित, सुरक्षित व विकसित होने का कानूनी कवच पहना दिया गया है।
- राज्य सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से जहाँ एक ओर प्रदेश में धर्म-अध्यात्म का सम्मान करते हुए श्रद्धालुओं की आस्था को बलवती होने का अवसर दिया है, वहीं राज्य की मेला संस्कृति को पल्लवित होने का सुरक्षित वातावरण भी प्रदान किया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-state-fair-authority-bill-2023-passed